



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3100]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 3100]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3535(अ).—यतः, मै. गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, एक निजी संगठन, ने महाराष्ट्र राज्य के प्लॉट न.आईटी-5 एमआईडीसी नोलेज पार्क, ग्राम एरोली एवं दिघे, जिला थाने में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ.1695(अ)	11.06.2013	11.74	11.74
(ii)	का.आ. 595(अ)	18.02.2015	1.170	12.91

और यतः, मै. गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड ने अब 3.61 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है तथा केन्द्र सरकार ने दिनांक 08.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की थी;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **3.61 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **16.52 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

तालिका

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	एरोली	145(भाग)	0.574
2		146 (भाग)	1.99
3		147 (भाग)	0.574
4		148 (भाग)	0.15
5		149 (भाग)	0.191
6		153 (भाग)	0.131
	कुल		3.61
	उपर्युक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		16.52

[फा. सं. एफ.1/5/2011-एसईजेड]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2017

S.O. 3535(E).—WHEREAS, M/s. Gigaplex Estate Private Limited, a private organization, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No. IT-5, Airoli Knowledge Park-TTC Industrial Area, Villages Airoli and Dighe, District Thane in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:—

S. No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 1695(E)	11.06.2013	11.74	11.74
(ii)	S.O. 595(E)	18.02.2015	1.170	12.91

AND WHEREAS, M/s. Gigaplex Estate Private Limited, has now proposed to include an area of 3.61 hectares at above Special Economic Zone and Central Government has granted approval on 08.03.2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of **3.61 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **16.52 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table namely:—

TABLE

S. No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Airoli	145(PT)	0.574
2.		146 (PT)	1.99
3.		147 (PT)	0.574
4.		148 (PT)	0.15
5.		149 (PT)	0.191
6.		153 (PT)	0.131
	Total		3.61
	Grand total area of SEZ after above addition		16.52

[F. No. F. 1/5/2011-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.